



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44591

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3772/2026

संतोष कुमार त्रिपाठी एवं 3 अन्य

.....याचीगणगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: अतुल शुक्ला, मनोज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. कुछ तर्कों के पश्चात, याचीगण के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को सीमित कर दिया और प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी को याचीगण द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत दायर अपील, वाद संख्या 3433/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C202514000003433 को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
3. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में भी, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी को उपर्युक्त अपील को कानून के अनुसार सख्ती से, शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन बिना किसी कानूनी बाधा के कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

26 फरवरी, 2026

स्वाति।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"